

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या:-347 / 2018

1. राजेन्द्र पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
 -वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. रेशनी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
3. सुमन पुत्री जगदीश पत्नी भीमसैन जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मन्जू पुत्री जगदीश पत्नी बलराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बनवारीलाल गौड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रूपराम कासनियां प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 654 आरडी के जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 55/157 में कुल 1.012 है. में से .051 है. तथा इसी चक के खाता संख्या 56/159 में कुल 21.214 है. में से 0.645 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नं. 654 आरडी के खाता संख्या 55/157 व 56/159 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलक्टर एवं
 पीठासीन अधिकारी, टिब्बी